राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : .49 / 2014..... जिला : भरतपुर.....
मैसर्स मैसर्स विजय सेल्स कारपोरेशन,भरतपुर. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन,तृतीय,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.02.2014	**एकलपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री विनय गोयल,अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिक़ारी''कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2013, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन–तृतीय,राज.,जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25,55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.02.2009 निर्धारण वर्ष 2008–09 के सम्बन्ध में कायम की गयी मांग राशि रू. 4,12,080/ की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उक्त मांग की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है। उभय पक्षीय की बहस सुनी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.12.2013 में यह लिखते हुए स्टे अस्वीकार किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश दिनांक 12.02.2009 में मांग सृजित की गई है जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संशोधन आदेश दिनांक 09.03.3010 को विवादित किया गया है। दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवं उभय पक्षीय तर्को पर विचार करने के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में है। लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2009 में सृजित वसूली योग्य राशि रू. 4,12,080/–पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, के लिए रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा । अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की तिथि से आगामी 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है । निर्णय सुनाया गया । (सुनील शर्मा) सदस्य	